



अंचल कार्यालय, प्रथम तल, पारस टॉवर, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून – 248171, टेलीफोन नं.  
0135-2725111 ई-मेल [आईडी-legal.dehradun@denabank.co.in](mailto:आईडी-legal.dehradun@denabank.co.in)  
बिक्री की सूचना (केवल ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आस्ति का कब्जा एवं बिक्री देना बैंक द्वारा दिनांक 02.01.2019 को अखबार ..... में निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय करने हेतु प्रकाशन कराया है जिसका पूर्ण विवरण एवं नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं:-

देना बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने अपने सुरक्षित निम्नलिखित ऋणों में बकाया रकम व ब्याज व अन्य खर्च (बकाया रकम का विवरण नीचे दर्ज है) की वसूली हेतु वास्तविक कब्जे में ली गई निम्नलिखित सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है" "जो है जैसा है" के आधार पर सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विक्रय करने हेतु इलैक्ट्रॉनिक मोड. द्वारा वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) टेलीफोन नं. 022-22872011 / 22883501 मोबाईल नं. 9458704037 के माध्यम से दिनांक 21.01.2019 को सायं 4.00 बजे तक या से पूर्व प्रस्ताव आमंत्रित करता है। ऋणीगण, गारन्टर आदि का नाम व पता, बन्धक सम्पत्ति, बकाया रकम, का विवरण निम्नप्रकार है:-

क्रम संख्या	शाखा का नाम	ऋणी का नाम	बकाया रकम डिमाण्ड नोटिस के अनुसार	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	रिजर्व प्राईस	Earnest Money Deposit (ईएमडी)	ऋण देने वाली शाखा का नाम एवं EMD जमा करने का विवरण
1	देना बैंक, शास्त्री नगर मेरठ	श्री शाकिर अहमद, श्री जाकिर अहमद पुत्रगण श्री सईद अहमद	रु. 18.31 लाख व बकाया ब्याज व अन्य खर्च	रिहायशी मकान भूखण्ड न. 4/461, योजना नं. 10, रकबई 62.72 वर्ग मीटर वाके सेक्टर नं. 4, माधवपुरम, आवासीय योजना, दिल्ली रोड, मेरठ जिला मेरठ। जिसके मालिक श्री शाकिर अहमद एवं जाकिर अहमद है।  वास्तविक कब्जे में है।	रु. 16.04 लाख	रु. 1.60 लाख	<b>MSTC</b> की वेबसाईट पर दिये गये लिंक द्वारा नेट बैंकिंग/आरटी जीएस/एनईए फटी से सिधा <b>MSTC</b> के खातें में।

2		श्री राशीद अहमद व श्री जाकिर अहमद पुत्रगण श्री सईद अहमद	रु. 20.20 लाख व बकाया ब्याज व अन्य खर्च	रिहायशी मकान भूखण्ड न. 4/486, योजना नं. 10, रकबई 62.72 वर्ग मीटर वाके सेक्टर नं. 4, माधवपुरम, आवासीय योजना, दिल्ली रोड, मेरठ जिला मेरठ। जिसे मालिक श्री राशीद इहमद एवं श्री जाकिर अहमद है।  वास्तविक कब्जे में है।	रु. 20.34 लाख	रु.2.04 लाख	
3	हरिद्वार	मै. फ्रेस मिल्क प्राडेक्टस द्वारा प्रोप्राईटर श्री नवनीत कुमार परमार पुत्र श्री पहल सिंह	रु. 4.27 लाख बकाया ब्याज व अन्य खर्च	अकृषि भूमि मय निर्माण खसरा नं. 263ग, रकबई 540 वर्ग मीटर वाके ग्राम नेहन्दपुर परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।  सम्पत्ति पर बैंक का वास्तविक कब्जा है।	रु. 4.42 लाख	रु 0.44 लाख	
4	रुद्रपुर	मै. श्री कृष्णा डेरी द्वारा प्रोप्राईटर श्री राजकुमार पुत्र श्री मुंशीराम।	रु. 29.75 लाख बकाया ब्याज व अन्य खर्च	भूमि मय निर्माण रकबई 0.202 हेक्टेयर यानि 2020 वर्ग मीटर खाता नं. 00105 खसरा नं. 502 वाके ग्राम रहपुरा, परगना रुद्रपुर, तहसील किच्छा जिला उधमसिंह नगर सम्पत्ति के मालिक श्री राजकुमार पुत्र श्री मुंशी राम है। सम्पत्ति पर बैंक का	रु. 15.54 लाख	रु. 1.55 लाख	

				वास्तविक कब्जा में है।			
5	1- मै. सेम केबल्स एण्ड कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड, डायरेक्टर्स,	रु. 27.76 करोड बकाया ब्याज व अन्य खर्च	भूमि मय भवन प्लॉट नं. 59, सेक्टर -6, रकबई 4297 वर्ग मीटर, खसरा नं. 411, 412 व 414 वाके ग्राम कल्याणपुर, पंतनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील किच्छा नई तहसील रुद्रपुर जिला अधमसिंह नगर जिसके किरायेदार/मालिक मै. सेम केबल्स एण्ड कंडक्टर्स प्रा. लिमिटेड है, जिसकी सीमाएँ:- पूरब: प्लॉट नं. 60 सेक्टर नं. -6, पश्चिम: प्लॉट नं. 58 सेक्टर नं. - 6, उत्तर: 24 मीटर चौडा रास्ता, दक्षिण: 30 मीटर चौडा रास्ता। (यह कि सम्पत्ति स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकूल) से दिनांक 13.08.2005 को 90 वर्ष हेतु मै. सेम केबल्स एण्ड कंडक्टर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा लीज पर	रु. 397.51 लाख	रु 39.75 लाख		

			ली गई है।) वास्तविक कब्जा है			
6			<p>1-सम्पत्ति नं. 340-ए का भाग प्राईवेट नं. 340-ए/23 रकबई 171 वर्ग गज, खसरा नं. 364म, वाके ग्राम चन्द्रवाली यानि शहादरा फ़ैन्डस कॉलोनी, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, दिल्ली-110095 जिसके मालिक श्री दरबारा सिंह पुत्र श्री स्वरुप सिंह है जिसकी सीमाएं पूरब: कामन पेसिस वाद मेन जी टी रोड, उत्तरी साईड, पश्चिम: 340 -ए का भाग, उत्तर: 340-ए का भाग, दक्षिण: 340-ए का भाग।</p> <p>2-सम्पत्ति नं. 340-ए/23 का भाग, रकबई 49.33 वर्ग मीटर, खसरा नं. 902/364, वाके ग्राम चन्द्रवाली यानि शहादरा फ़ैन्डस कॉलोनी, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, दिल्ली-110095 जिसकी मालिक श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री दरबारा सिंह है, जिसी</p>	रु. 284.73 लाख	रु 28.47 लाख	

				<p>सीमाए पूरबः सम्पत्ति का भाग, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति ।</p> <p>(यह कि सम्पत्ति नं. 340-ए, 23 रकबई 171 वर्ग गज 142.98 वर्ग मीटर व रकबई 49.33 वर्ग मीटर कुल रकबई 192.31 वर्ग मीटर पर श्री दरबारा सिंह व श्रीमती सुरेन्द्र कौर द्वारा एक भवन निर्माण किया हुआ है।)</p> <p>वास्तविक कब्जा है</p>			
7		<p>मै. नेचर पब्लिकेशंस द्वारा प्रोप्राईटर श्री संतोष कुमार यादव पुत्र श्री गंगा प्रसाद यादव</p>	<p>रु. 22.06 लाख व बकाया ब्याज व अन्य खर्च</p>	<p>नगर पालिका मकान नं. 11015, खसरा नं. 73 का भाग, रकबई 91.97 वर्ग मीटर यानि 110 वर्ग गज वाके निकट चर्च, नगला बट्टू, यादगारपुर, परगना, तहसील एवं जिला मेरठ जिला मेरठ। जिसकमी मालिक श्रीमति रेनू यादव है।</p> <p>सम्पत्ति पर बैंक का वास्तविक कब्जा है।</p>	<p>रु. 21.15 लाख</p>	<p>रु 2.12 लाख</p>	

इच्छुक बोलीकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं को पोर्टल में दर्ज करवाएं और लॉग इन आइडी और पास वर्ड प्राप्त करें। इच्छुक बोलीकर्ता पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये गये लॉग इन आइडी और पास वर्ड द्वारा उपर्युक्त वेबसाइट में जाकर ई.एम.डी. व केवाईसी अभिलेख जमा करें,, ईएमडी का भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सिधा डैज को वेबसाइट पर दिये गये लिंक के द्वारा आनलाईन जमा करें।

ऑन लाईन आक्शन में केवल वे क्रेता ही भाग लेने के पात्र है, जिनके पास वैध यूजर्स आइडी/पासवर्ड हो और एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के द्वारा ई.एम.डी का भुगतान किया गया हो,, इच्छुक बोलीकर्ता जिन्हें लॉगइन आई डी और पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बोली जमा करने आदि में कोई सहायता चाहिए वह (1) MSTC corporate website: [www.mstcindia.co.in](http://www.mstcindia.co.in) (2) MSTC auction website: [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) (3) Service Provider: MS Archana Juneja - 9990673698 / 022-22872011, E-mail: [archana@mstcindia.co.in](mailto:archana@mstcindia.co.in) and Ms. Rupali Pandey - 9458704037/022-22883501, E-mail: [rpandey@mstcindia.co.in](mailto:rpandey@mstcindia.co.in) (4) Contact Person for Registration related Inquiry: Ms. Pranali Kamble - 022022829565, Email: [mstcpranali@gmail.com](mailto:mstcpranali@gmail.com) (5) Contact Person for auction related Inquiry: Mr. Chetan Worlikar - 022-22886266, Mr. Afzal Khan - 022-22870471, Mrs Bhargavi - 022-22885567 या कोई अन्य जानकारी के लिए श्री आर एस चौहान प्राधिकृत अधिकारी/सहायक महाप्रबंधक, देना बैंक, अंचल कार्यालय, देहरादून मोबाईल नं. 8433447037 ई मेल आइडी- [legal.dehradun@denabank.co.in](mailto:legal.dehradun@denabank.co.in) पर सम्पर्क कर सकते है। इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण मौके पर दिनांक 18.01.2019 को समय सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक शाखा में सम्पर्क कर, कर सकते है।

इच्छुक बोलीकर्ताओं जिन्होंने अपनी बिडस, जो आरक्षित मूल्य से कम न हो, ऑनलाइन विधि द्वारा ईएमडी दिनांक 21.01.2019 को सांय 4.00 बजे से पहले या तक जमा कर दी हो, वही बोलीकर्ता दिनांक 23.01.2018 को समय सुबह 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होने वाली ई-बोली में भाग लेने के पात्र होंगे।

बोलीकर्ता जिसकी बोली उच्चतम होगी (आरक्षित मूल्य से कम नहीं और बोली कर्ता जिन्होंने बोली में न्यूनतम 0.10 लाख का सुधार किया हो) ऑन लाइन आक्शन बंद होने पर इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा सफलतम बोलीकर्ता घोषित कर दिया जाएगा, जोकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर ही मान्य होगा। विक्रय की पुष्टि होने पर, सफल क्रेता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमें जमा की गई अग्रिम राशि, यदि कोई हो, भी शामिल है) तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक, जैसा भी मामला हो, विक्रय करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करेगा और विक्रय मूल्य का शेष 75 प्रतिशत 15 दिनों के भीतर जमा करेगा, जिसमें विफल होने पर बैंक क्रेता द्वारा पहले जमा की गई राशि को जब्त कर लेगा। भुगतान में चूक होने पर, सम्पत्ति को पुनः विक्रय किया जाएगा और चूककर्ता क्रेता उस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा जो भी हो, नहीं कर सकता है, सम्पत्ति पर कोई वैधानिक या अन्य देय राशि पेयबल हो या ड्यू हो क्रेता द्वारा वहन की जाएगी।

बिक्री से संबंधित नियम और शर्तों की पूछताछ यदि कोई हो प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। प्रस्ताव, जो बिक्री के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करते उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। सफल क्रेता को पूर्ण बिक्री मूल्य के भुगतान और बिक्री संबंधी औपचारिकता पूरी करने के उपरांत सरफेसाई नियम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये प्रारूप में विक्रय पत्र जारी किया जाएगा। क्रेता स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार आदि यदि कोई हों वहन करेगा। बैंक किसी या सभी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत/रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता है।

---

### SARFAESI ACT के अंतर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस

ऋणी/बंधककर्ता/गारन्ट को एतद्द्वारा उपरोक्त धनराशि नीलामी की दिनांक से पहले जमा करवाने का नोटिस दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर उक्त सम्पत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा और शेष राशि यदि कोई हो, ब्याज सहित और अन्य कोई लागत हो को कानूनी प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया जाएगा।

स्थान देहरादून

दिनांक 17.10.2018

प्राधिकृत अधिकारी, देना बैंक